(P)

संख्याः 437/XXVIII(1)/2011-11(हल्द्वानी)/2011

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी,
हल्द्वानी।

चिकित्सा अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 25 अप्रैल, 2011**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक से अनुदान संख्या–12 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/ 2010 दिनांक 31.03.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011–12 के आय व्ययक की मांगे स्वीकृत होने व तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम, 2011 पारित होने के फलस्वरूप राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में होने वाले आवश्यक वचनबद्ध मदों यथा वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युत देय, जलकर किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन आदि आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से संलग्नक के **कॉलम– घ** में अंकित आवंटित धनराशि आयोजनागत पक्ष में कुल **₹ 35,10,82,000.00 (₹ पैंतीस करोड़ दस लाख बयासी हजार मात्र)** की समस्त धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. जिन मदों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन **निविदा प्रकिया** आवश्यक है। उस मद में व्यय किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन करते हुए **सक्षम स्तर** से अनुमोदन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।
3. आयोजनागत पक्ष की प्रत्येक योजना (आयोजनेत्तर पक्ष के सापेक्ष भी) का नियमित आधार पर अनुश्रवण/समीक्षा उनके आउटपुट लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा और यदि वांछित आउटकम/आउटपुट की उपलब्धि नहीं होती/पाई जाती है तो उनके सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जायेगा।
4. निर्माण कार्यो के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(डी) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कुल बजट प्राविधान के सापेक्ष 80 प्रतिशत धनराशि चालू निर्माण कार्यो पर ही व्यय किया जाए एवं नये निर्माण कार्यो पर 20 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की जाए। चालू निर्माण कार्यो हेतु धनआवंटन करते समय उन कार्यो को प्राथमिकता दी जायेगी जो कम समय एवं धनराशि में ही पूर्ण कर उपयोग में लाये जा सकते हैं।

5. मानक मद 16—व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में निर्गत की रही धनराशि का उपयोग उन कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु किया जायेगा जिनका वेतन भुगतान उक्त मद से किया जाता है। उक्त मद से किये जाने वाले अन्य व्ययों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—209/XXVII(1) /2010 दिनांक 31.03.2011 के के कम में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
6. नये पदों के सृजन/ढांचे, नयी नीति निर्धारण अथवा वर्तमान नीति में संशोधन, करों/यूजर चार्जेज में संशोधन, निधियों का गठन, अनुदान राशि में संशोधन, नियमावलियां आदि सभी प्रकरण शासन की पूर्व सहमति/परामर्श से ही निस्तारित किये जायेगें।
7. **उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाए।**
8. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
9. विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह आहरण—वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0—17 पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की त्रैमासिक फेजिंग विभागाध्यक्ष अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायेंगे, जिससे राज्य स्तर पर कैश फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ—साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्नीकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाए। निर्माण कार्यो हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग करके विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित अधिकारी कार्यदायी संस्थाओं को अवगत करायेगें तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।
12. प्रत्येक विभागाध्यक्ष वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक शासन को केन्द्र सहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध करायेंगे। **जिन विभागों से यह सूचना प्राप्त नहीं होगी उनके वित्तीय**

अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

13. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। यदि पुनर्विनियोग हेतु शासन की सहमति अनुदान के अधीन दी जाती है, तब पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश पर शासन द्वारा आदेश विशिष्ट पत्र संख्या का प्रयोग कर उसकी प्रति महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को उपलब्ध कराया जाय। विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा–151 तथा 155 के अन्तर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही भेजा जाय।
14. **बी0एम0–13 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक** पूर्व माह तक की व्यय बचत सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
15. जहॉ केन्द्रीयित क्रय प्रक्रिया लागू है, या दर अनुबन्ध किये जाते हैं, वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होते ही एक प्रोक्योरमेन्ट प्लॉन बना लेंगे तथा उसकी प्रति शासन को उपलब्ध करायेगें। यह भी सुनिश्चित कर लेगें कि **प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही 31 जनवरी, 2011 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायेगी।** इसी प्रकार पूंजीगत कार्यों का भी एक एक्सन प्लॉन तैयार कर शासन को उपलब्ध करायेंगें।
16. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चत करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाए तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
17. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं वे यथाशीघ्र पूर्ण किये जा सकें, विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण संलग्न प्रपत्र–1 से 4 पर शासन को उपलब्ध करायेंगें ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि सर्वप्रथम 75 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति वाले निर्माण कार्यो के लिए बजट अवमुक्त किया जाय एवं उसके उपरान्त 50 से 75 प्रतिशत भौतिक प्रगति वाले निर्माण कार्यो के लिये धनराशि अवमुक्त की जाए, नये कार्यो हेतु स्वीकृति बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(क)–4 की व्यवस्थानुसार ही किया जाए।
18. बजट नियंत्रक अधिकारी बी0एम–17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेश के कम में जारी करेंगे अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

19. सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगें कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 28. दिनों के अन्दर कर दिया जाए तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिये जाए। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गयी सीमाओं के अनुसार ही किया जाए।
20. समस्त विभागाध्यक्ष उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय ता व्यय के आंकड़ो का मिलान प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
21. प्रायः यह देखने में आया है कि बड़ी संख्या में वित्तीय स्वीकृतियों के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह एवं उसके भी उत्तरार्द्ध में प्रस्तावित किये जाते हैं यह प्रकिया नितान्त आपत्तिजनक है एवं इससे धनराशि बैंकों में पार्किग करने की परिस्थिति के साथ सरकार पर ओवर ड्राफ्ट की स्थिति भी बन जाती हैं अतः वित्तीय वर्ष के अन्त में अत्यधिक व्यय की प्रवृति को नियंत्रित करने एवं साथ ही साथ योजनाओं एवं कार्यो की पूर्ति समय से सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी स्वीकृतियां समय से परन्तु प्रत्येक दशा में 31 दिसम्बर, 2011 तक निर्गत कर दी जाए।
22. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का प्रत्येक व्यय के सम्बन्ध में कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः– यथोक्त

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संo– 437 /XXVIII(1)/2010-11(हल्द्वानी)/2011तद् दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2–आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3–जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4–निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी नैनीताल।
7–वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।
8–बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
9–वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

सं0– 437 XXVIII(1)/2011-11(हल्द्वानी)/2011 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

(धनराशि ₹ हजार में)

लेखाशीर्षक		आयोजनागत	
क	ख	ग	घ
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	प्राविधानित धनराशि	आबंटित धनराशि
05	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105	पाश्चात्य शिक्षा पद्धति		
04	मेडिकल कॉलेज		
0407	**राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना**		
01	वेतन	190000	190000
03	महंगाई भत्ता	114000	114000
04	यात्रा व्यय	400	400
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	50
06	अन्य भत्ते	20350	20350
09	विद्युत देय	20000	5000
10	जलकर/जलप्रभार	200	200
13	टेलीफोन पर व्यय	500	500
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	1742	1742
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40000	9000
17	किराया उपसुल्क और कर स्वामित्व	240	240
21	छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन	4000	4000
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	500	500
39	औषधि तथा रसायन	20000	5000
45	अवकाश यात्रा व्यय	100	100
	योग	**412082**	**351082**

(कुल धनराशि ₹ पैंतीस करोड़ दस लाख बयासी हजार मात्र)

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

D:\2010\2011\Budget 2011-12\Haldwani medical colleg\Reguler bazat Haldwanir2011-12 GO.doc